रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936
No. 566] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

सा.का.नि 772(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 **का** 1) **की धारा** 637**क की उपधारा** (2) **के साथ पठित धारा** 642 **और कंपनी अधिनियम,** 2013 **की धारा** 470 **के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कठिनाइयों को हटाने संबंधी आदेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए** एतद्द्वारा **कंपनी विधि बोर्ड(आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम,** 1991 **में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत**:

1. **(1) इन नियमों का नाम कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) संशोधन नियम, 2014 है।**

 (2) **ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।**

2. **कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 में अनुसूची में क्रम संख्या 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात**:

"34	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (41)**	**अप्रैल से मार्च से भिन्न किसी अन्य अवधि को वित्तीय वर्ष के रूप में अनुज्ञात करना**	**5,000**
35	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 और 59**	**सदस्यों के रजिस्टर का शुद्धिकरण**	**500**
36	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 76 के साथ पठित धारा 73 (4)**	**ऐसे भुगतान न करने के परिणामस्वरूप किसी देय धनराशि अथवा किसी हानि अथवा नुकसानी के भुगतान के लिए कंपनी को निर्देश देना**	**100**
37	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 74 (2)**	**कंपनी को जमा राशि की वापसी के लिए युक्तियुक्त विचार किए गए समय को बढाने के लिए अनुज्ञात करना**	**5,000"**

[फा. सं. 1/19/2014–सीएल–V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 290 (अ) तारीख 31.5.1991 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और जिसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 787 (अ)	29.9.1992
2.	सा.का.नि. 219 (अ)	6.3.2000
3.	सा.का.नि. 510 (अ)	22.7.2002
4.	सा.का.नि. 547 (अ)	10.7.2012

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

Nw Delhi, the 3rd November, 2014

G.S.R. 772(E).—In exercise of the powers conferred by section 642 read with sub-section (2) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and the removal of difficulty Orders issued by the Central Government under section 470 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991 namely:-

1 (1) These rules may be called the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991, in the Schedule, after serial number 33 the following shall be inserted, namely:

"34	2(41) of the Companies Act, 2013	Allowing any period other than April to March as financial year.	5,000
35	58 and 59 of the Companies Act, 2013	Rectification of register of members	500
36	73(4) of the Companies Act, 2013 read with section 76	Directing the company to pay the sum due or for any loss or damage incurred as a result of such non-payment.	100
37	74(2) of the Companies Act, 2013	Allow further time as considered reasonable to the company to repay the deposit.	5,000.".

[F. No. 1/19/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published vide No: GSR 290(E) dated 31.5.1991 and subsequently amended by:

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	GSR 787(E)	29-9-1992
2.	GSR 219(E)	6-3-2000
3.	GSR 510(E)	22-7-2002
4.	GSR 547(E)	10-7-2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.